सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या–4067/62–3–2010

प्रेषक,

एन.एस. रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2010

विषयः– **डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अंत तक जल निकासी की व्यवस्था/आउट फाल ड्रेन का निर्माण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–313/205/डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0/2009, दिनॉक 06.09.2010 व उसके कम में जारी शासन के पत्र संख्या–2091/62–3–2010–49एम/2010, दिनॉक 29.06.2010 एवं पत्र संख्या–3820/62–3–2010, दिनॉक 27.11.2010 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। उक्त शासनादेशों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि गांव की आबादी के बाहर सुरक्षित स्थान तक जल निकासी की व्यवस्था हेतु आउट फाल ड्रेन का निर्माण अन्य योजनाओं के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। दिनॉक 15.12.2010 को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की समीक्षा के फलस्वरूप यह विदित हुआ कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा प्रदेश के जिन 56 जनपदों में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनमें से वर्ष 2010–11 में 47 जनपदों व 2009–10 में 33 जनपदों में आउट फाल ड्रेन का निर्माण कराये जाने के प्रोजेक्ट विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रस्तुत किये गये, जिनमें से वर्ष 2010–11 के 23 जनपदों में एवं 2009–10 के 17 जनपदों में अभी जिलाधिकारियों के स्तर पर यह निर्णय भी नहीं हो पाया है कि आउट फाल ड्रेन का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत व किस निर्माण विभाग/एजेंसी के माध्यम से कराया जाय। उक्त दोनों वर्षों के कमशः 6–6 जनपदों में ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को आउट फाल ड्रेन के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया व दोनों ही वर्षों के कमशः 18 जनपद व 10 जनपदों में उक्त कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है।

2. अवगत हैं कि आउट फाल ड्रेन सहित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के निर्माण का कार्य माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाना है। अतः आउट फाल ड्रेन के निर्माण हेतु जिलाधिकारियों के स्तर पर अविलम्ब निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, ताकि जिस भी विभाग/निर्माण एजेंसी को आउट फाल ड्रेन के निर्माण का दायित्व मिले वह उसे निर्धारित अवधि में पूरा भी करा सके।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड के निर्माण के फलस्वरूप उ0प्र0 जल निगम द्वारा लगाये गये कतिपय हैण्डपम्प व उनके चबूतरे नीचे हो गये हैं, जिन्हें ऊपर उठाये जाने आवश्यकता है। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य तकनीकी प्रकृति का है, जिसे उ0प्र0 जल निगम के द्वारा ही कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः इन हैण्डपम्पों को ऊपर उठाने व चबूतरे ऊँचे करने का कार्य यदि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के माध्यम से कराया जायेगा तो वह तकनीकी रूप से उचित नहीं होगा और उसमें आगे चलकर वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन का भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हैण्डपम्पों को ऊपर करने व उनके चबूतरे बनाने का कार्य सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के आगणन में भी शामिल नहीं है। अतः उचित होगा कि जहॉ कहीं इस प्रकार की समस्या हो वहॉं उक्त कार्य उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से कराया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाई करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 4067(1)/62–3–2010 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से,
20.12

(एन0 एस0 रवि)